न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 114 / 2022
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष..... जोगी मांझी .... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... धलडू मांझी .. वगैरह

9.12.22

वाद की कार्रवाई थाना पालकोट अप्राथमिकी सं० 13 /2022 दिनांक 27.08.2022 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) जोगी माँझी उम्र 65 वर्ष पिता–बंधना माँझी (2) चरकू माँझी उम्र 30 वर्ष पिता फकीर माँझी दोनों सा० गुड़मा, थाना– पालकोट, जिला– गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) धलडू माँझी उम्र 60 वर्ष (2) माडू माँझी उम्र 55 वर्ष दोनों पिता गन्दुरा माँझी (3) मुन्ना माँझी उम्र 25 वर्ष पिता धलडू माँझी (4) सूरज माँझी उम्र 19 वर्ष पिता माडू माँझी सभी सा० गुडमा थाना– पालकोट, जिला – गुमला के बीच मौजा गुडमा खाता सं0 122 प्लॉट सं० 1479 रकबा 5.12 एकड एवं प्लॉट सं0 1603 रकबा 3.00 एकड़ और प्लॉट सं० 1604 रकबा 2.10 एकड़ जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि मौजा– गुड़मा, थाना– पालकोट, थाना नं0 – 3 के अन्दर खाता नं0 – 122, प्लॉट – 1479, रकबा 5.18 ए0, प्लॉट –1603, रकबा – 3.08 ए०, प्लॉट – 1604, रकबा– 2.10 ए0, कुल रकबा –10.30 ए0 भूमि गैर मजरूआ जमीन है। जिसका बन्दोबस्ती संयुक्त रूप से शोमनाथ साहु वो बुधनाथ साहु, दोनो पिता ढुचू साहू, चौतु साहु वल्द वीरा साहु वो बुधू साहु, वल्द जगरनाथ साहु, बंधना मांझी वल्द मढुवा मांझी, सभी साकिन– गुड़मा, थाना– पालकोट, जिला– गुमला के साथ अंचलाधिकारी, पालकोट द्वारा दिया गया है तथा सभी रैयत आपस मे बँटवारा कर खेती बारी अपना–अपना कर रहे है। इनमे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है । द्वितीय पक्ष के सदस्य का विवादी जमीन पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार सरोकार नही है न ही विवादी जमीन से संबंधित कोई कागजी सबूत है । लेकिन वे जबरदस्ती लाठी के बल पर बन्धना माझी के हिस्सा की जमीन को कब्जाना चाहते है। सरकारी मालगुजारी रसीद संयुक्त रूप से सोमनाथ साहु वो बुधनाथ साहु, पैतु साहु,

बुधू साहू, बन्धना माझी के नाम प्लॉट – 1479, 1603, 1604, कुल रकबा 10 एकड़ 30 डिसमिल का कट रहा है। प्रथम पक्ष का कुर्सीनामा निम्न प्रकार है :–

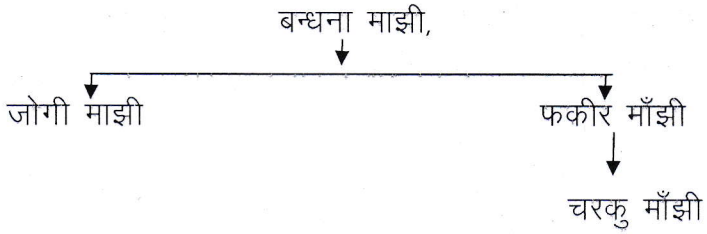

सभी खातिधारी रैयत 10.30 डी0 जमीन को आपस मे बँटवारा कर प्रत्येक हिस्से मे 2.57 डी0 जमीन पर दखलवार होकर खेती बारी करते आ रहे हैं । विपक्षी धलंडु माझी वो माडू माझी वो मुन्ना माझी वो सूरज मांझी लाठी के बल पर कब्जाना चाहते हैं चूँकि वे संख्या बल मे अधीक है । द्वितीय पक्ष के सदस्य रंगदार व्यक्ति है तथा प्रथम पक्ष के जोगी माझी से जमीन छोड़ने के एवज मे तीन लाख रुपया का माँग किया है जो कि बिल्कुल ही नाजायज है तथा दबाव बना कर कब्जा करना चाहते है।

ऐसी परिस्थिति मे श्रीमान् से निवेदन है कि वाद को द्वितीय पक्ष के विरुद्ध स्थिर कर प्रथम पक्ष के हित मे विलोपित करने की कृपा लिया जाय ।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 रसीद की छाया प्रति

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि द्वितीय पक्ष की ओर से शान्ति भंग होने की संभावना नहीं है द्वितीय पक्ष कानून को मानने वाले गरीब आदमी है। प्रथम पक्ष के सदस्य का विवादी जमीन पर किसी तरह का हक सरोकार नहीं है धन बल जन बल के प्रभाव से द्वितीय पक्ष जमीन को हड़पने के नियत से यह मुकदमा लाया गया है जो चलने योग्य नहीं है। विवाद का कारण मौजा गुड़मा, थाना पालकोट, थाना नं. 3 के अन्दर खाता नं. 122, प्लॉट नं. 1479, रकबा 5.18 एकड़, प्लॉट 1603 रकबा 3.08 एकड़, प्लॉट नं. 1604 रकबा 2.10 एकड़ कुल रकबा 10.30 एकड़ भूमि गैरमजरुवा जमीन से है। विवादित उक्त जमीन का संयुक्त रूप से लगान निर्धारण हुआ है। जिसमें द्वितीय पक्ष के पिता छोटा मढुवा मांझी के नाम में है। विवादित जमीन का बन्दोबस्ती लगान निर्धारण के समय उभय पक्ष संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार का संपत्ति में संयुक्त अधिकार द्वितीय पक्ष का हक बनता है। प्रथम पक्ष धन बल जन बल से मजबूत है द्वितीय पक्ष के सदस्यों को हमेशा डराते धमकाते रहते है। जिसमे द्वितीय पक्ष के लोगों को डर बना रहता है। द्वितीय पक्ष शान्ति प्रिय एवं कानून को मानने एवं समझने वाले द्वितीय पक्ष के सदस्यों से शान्ति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रथम शान्ति भंग होने की प्रबल संभावना है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल किया गया स्पस्टीकरण स्वीकार करने की कृपा किया जाय। प्रथम पक्ष के विरुद्ध स्थिर किया जाय एवं द्वितीय पक्ष में विलोपित करने की कृपा किया जाय। इस कार्य हेतु द्वितीय पक्ष हमेशा आभारी रहेंगे।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद्गत भूमि मौजा गुड़मा, थाना पालकोट, थाना नं. 3 के अन्दर खाता नं. 122, प्लॉट नं. 1479, रकबा 5.18 एकड़, प्लॉट 1603 रकबा 3.08 एकड़, प्लॉट नं. 1604 रकबा 2.10 एकड़ कुल रकबा 10.30 एकड़ से संबंधित है। वादग्त भूमि में सभी अपने – अपने हिस्से की जमीन पर खेती – बारी करते हुए दखलकार है। प्रथम पक्ष के द्वारा वादग्त भूमि का सरकारी मालगुजारी अदा करते आ रहे है।

अतः मौजा– गुड़मा के उक्त वादग्त भूमि पर प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाता है एवं द्वितीय पक्ष को स्थिर किया जाता है । आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट एवं थाना प्रभारी, पालकोट को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.24 11:45:09 +05:30
Location: 192.168.1.4